

**धारा 75 : कर अवधारण के संबंध में साधारण उपबंध**

- (1) जहां किसी सूचना की तामील या आदेश के जारी करने पर किसी न्यायालय या अपील अधिकरण के आदेश द्वारा रोक लगा दी जाती है तो ऐसी रोक की अवधि को, यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (2) और उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10) <sup>1</sup>[या 74क उपधारा (2) और उपधारा (7)] में विनिर्दिष्ट अवधि की संगणना करने से अपवर्जित किया जाएगा।
- (2) जहां किसी अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना इस कारण से पोषणीय नहीं है कि कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन करना या तथ्यों को छिपाना उस व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं हुआ है जिसको सूचना जारी की गई थी, वहां समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय कर का यह मानते हुए अवधारण करेगा कि सूचना धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई थी।
- <sup>2</sup>[(2क) जहां किसी अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धारा 74क की उपधारा (5) के खंड (ii) के अधीन शास्ति इस कारण से पोषणीय नहीं है कि कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर किए गए किसी मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के आरोप उस व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध नहीं किए गए हैं, जिसे सूचना जारी की गई थी, ऐसे व्यक्ति द्वारा शास्ति का संदाय धारा 74क की उपधारा (5) के खंड (i) के अधीन होगा।]
- (3) जहां अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय के निदेश के अनुसरण में किसी आदेश को जारी करने की अपेक्षा है तो ऐसा आदेश उक्त निदेश की संसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर जारी किया जाएगा।
- (4) सुने जाने के अवसर को वहां अनुदत्त किया जाएगा जहां कर या शास्ति से प्रभार्य व्यक्ति का लिखित अनुरोध प्राप्त होता है या जहां ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकूल विनिश्चय अनुध्यात है।
- (5) समुचित अधिकारी, यदि कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा पर्याप्त कारण उपदर्शित किया जाता है तो उक्त व्यक्ति को समय अनुदत्त करेगा और कारणों को लेखबद्ध करते हुए सुनवाई को स्थगित कर देगा :  
**परन्तु** ऐसा कोई स्थगन कार्यवाहियों के दौरान किसी व्यक्ति को तीन बार से अधिक अनुदत्त नहीं किया जाएगा।
- (6) समुचित अधिकारी अपने आदेश में अपने विनिश्चय के लिए सुसंगत तथ्यों और आधारों को अधिकथित करेगा।
- (7) आदेश में मांग किए गए कर, ब्याज और शास्ति की रकम सूचना में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं होगी और सूचना में विनिर्दिष्ट आधारों से भिन्न किसी अन्य आधार पर किसी मांग की पुष्टि नहीं की जाएगी।
- (8) जहां अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय समुचित अधिकारी द्वारा अवधारित कर की रकम को उपांतरित करता है, वहां ब्याज और शास्ति की रकम भी इस प्रकार उपांतरित कर की रकम को गणना में लेते हुए तदनुसार उपांतरित हो जाएगी।
- (9) कम संदत्त किए गए या संदत्त नहीं किए गए कर पर ब्याज संदेय होगा, चाहे कर दायित्व

1 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024-केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।

2 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा उपधारा (2क) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024-केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।

## केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

का अवधारण करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो या नहीं।

<sup>3</sup>[(10) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी, यदि आदेश धारा 73 की उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (10) या धारा 74क की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जारी नहीं किया जाता है।]

(11) कोई विवादक, जिस पर अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा अपना विनिश्चय दिया गया है, जो किन्हीं अन्य कार्यवाहियों में राजस्व के हित के प्रतिकूल है और अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील लंबित है तो अपील प्राधिकरण और अपील अधिकरण के विनिश्चय की तारीख के बीच की अवधि या अपील अधिकरण और उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख या उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को धारा 73 की उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (10) में <sup>4</sup>[या धारा 74क की उपधारा (7) में] निर्दिष्ट अवधि की संगणना करने में वहां अपवर्जित किया जाएगा जहां कार्यवाहियां उक्त धाराओं के अधीन कारण बताओ सूचना जारी करने के माध्यम से संस्थित की गई हैं।

(12) धारा 73 या धारा 74 <sup>5</sup>[या धारा 74क] में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी के अनुसार स्वनिर्धारित कर की कोई रकम पूर्णतः या भागतः असंदत रहती है या ऐसे कर पर संदेय ब्याज की कोई रकम असंदत रहती है तो उसकी वसूली धारा 79 के उपबंधों के अधीन की जाएगी।

<sup>6</sup>[स्पष्टीकरण : इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “स्वनिर्धारित कर” पद में धारा 37 के अधीन प्रस्तुत किए गए ऐसी बहिर्गामी पूर्तियों के ब्योरे के संबंध में संदेय कर, सम्मिलित होगा किन्तु धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में सम्मिलित नहीं किया गया है।]

(13) जहां धारा 73 या धारा 74 <sup>7</sup>[या धारा 74क] के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की जाती है, वहां उसी कारण या लोप पर किसी शास्ति को उसी व्यक्ति पर इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

(12) धारा 73 या धारा 74 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 39 के अधीन

3 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा उपधारा (10) प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024-केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया। प्रतिस्थापन के पूर्व उपधारा (10) इस प्रकार थी:

“(10) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों को तब पूरा हुआ समझा जाएगा, यदि धारा 73 की उपधारा (10) में यथा उपबंधित तीन वर्ष के भीतर या धारा 74 की उपधारा (10) में यथा उपबंधित पांच वर्ष के भीतर आदेश जारी नहीं किया जाता है।”

4 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024-केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।

5 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024-केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।

6 वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 39/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया।

7 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024-केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।

### केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

प्रस्तुत विवरणी के अनुसार स्वनिर्धारित कर की कोई रकम पूर्णतः या भागतः असंदत्त रहती है या ऐसे कर पर संदेय ब्याज की कोई रकम असंदत्त रहती है तो उसकी वसूली धारा 79 के उपबंधों के अधीन की जाएगी।

<sup>8</sup>[स्पष्टीकरण : इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “स्वनिर्धारित कर” पद में धारा 37 के अधीन प्रस्तुत किए गए ऐसी बहिर्गामी पूर्तियों के ब्योरे के संबंध में संदेय कर, सम्मिलित होगा किन्तु धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में सम्मिलित नहीं किया गया है।]

- (13) जहां धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की जाती है, वहां उसी कारण या लोप पर किसी शास्ति को उसी व्यक्ति पर इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

---

---

8 वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 39/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया।